# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 174 / 2017** **दायरा दिनांक : 22.09.2017**

**उनवान**

1— ललित कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मेहर, निवासी बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— गजेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मेहर, निवासी बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

3— रोहित कुमार पुत्र घनश्याम, जाति मेहर, निवासी बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

4— संतोष बाई पत्नी घनश्याम, जाति मेहर, निवासी बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1— घनश्याम पुत्र बजरंगा, जाति मेहर, निवासी बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— रामस्वरूप उर्फ रामनारायण पुत्र बजरंगा, जाति मेहर, निवासी बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 07.02.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 303/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया ग्राम बमूलियाकलां तहसील अन्ता के माल में खाता संख्या 223 में खसरा नम्बर 1121/883 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 911 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 912 रकबा 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 913 रकबा 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 936 रकबा 1.04 हेक्टर कुल 6 किता की 5.72 हेक्टर तथा खाता संख्या 228 में खसरा नम्बर 230 रकबा 3.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.31 हेक्टर कुल 7 किता की 5.72 हेक्टर आराजी स्थित है । माधो के पुत्र बजरंगा हुए और बजरंगा के पुत्र रामस्वरूप एवं घनश्याम । वादीगण घनश्याम के पुत्र एवं पत्नी है । आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा है । आराजी पैत्रृक है । आराजी का प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 के मध्य मौखिक रूप से बंटवारा हो रहा है । प्रतिवादी नम्बर 1 अपने हिस्से की 1/2 आराजी के बेचान करने की धमकी दे रहे हैं जबकि आराजी पैतृक होने के कारण इसमें वादीगण का हित निहित है । प्रतिवादी 1 हिस्से में वादीगण में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है । प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण आराजी को बेचान करने का अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित किया जाये और इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि प्रतिवादी वादी को बेदखल न करें ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.09.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि एक दावा घनश्याम बनाम रामस्वरूप प्रकरण संख्या 69/2010 जैरकार था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में अंतिम बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 18.09.2017 को निर्णय व डिक्री पारित किया और यह अंकित किया कि वाद संख्या 206/2010 शांति देवी बनाम घनश्याम विचाराधीन है । मूल वाद के लम्बित रहते यह वाद पोषणीय नहीं है । यह वाद खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर नहीं किया गया है । निर्णय विधि विरूद्ध है । यदि प्रकरण संख्या 206/2010 विचाराधीन है तो कन्सोलीडेट किया जा सकता था । इस आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा नो

इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया है । यदि अभिभाषक प्रतिवादीगण के नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करते हैं तो न्यायालय को प्रतिवादीगण को इस आशय का नोटिस जारी करना चाहिए जो जारी नहीं किया गया है । इसके उपरान्त बहस सुनकर यह निर्णय पारित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत प्रकरण संख्या 206/2010 बउनवान शांति बाई बनाम घनश्याम विचाराधीन है जो मूल वाद की श्रेणी में आता है । मूल वाद के चलते यह वाद पोषणीय नहीं है इसलिए खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का यह मत त्रुटिपूर्ण है । यदि इसी आराजी से सम्बन्धित कोई अन्य दावा चल रहा है तो दोनों दावों में से जो दावा पहले पेश किया जाता है उसके साथ दूसरे दावे को समेकित किया जा सकता है परन्तु इस आधार पर दूसरे दावे को निरस्त नहीं किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

7 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 6 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण के अभिभाषक के नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया जाये और प्रकरण संख्या 206/2010 बउनवान शांति बाई बनाम घनश्याम और इस प्रकरण में से जो भी दावा पहले पेश किया गया हो उसके साथ दूसरे दावे को समेकित किया जाये और दोनों का एक साथ निर्णय पारित किया जाये । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

8 निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा